न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

......चौथमल...... बनाम ......राजस्थान......

किस्म मुकदमा ......225 RTA...... मु. नं०......10...... वर्ष...2021....

दिनांक	आज्ञा पत्र	
10-2-21	अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपील में कैवियट प्राप्त है। कैवियटकर्ता के नोटिस जारी हो। वास्ते बहस स्थगन पत्रावली दिनांक 15.02.2021 को सीकर न्यायालय में पेश हो।	1020/10-2-21
15-2-21	पत्रावली पेश। कैवियटकर्ता की और से अधिवक्ता श्री भागीरथमल जाखड़ ने वकालतनामा पेश किया। शामिल पत्रावली रहे। बहस स्थगन उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 16.02.2021 को पेश हों।	
16-2-21	पत्रावली वास्ते स्थगन आदेश पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 21.01.2021 को एकपक्षीय स्थगन जारी किया था। दिनांक 01.02.2021 को विचारण न्यायालय द्वारा कैवियटकर्ता को सुनकर दिनांक 21.01.2021 को पारित स्थगन को अपास्त कर दिया। विवादित भूमि पैतृक है। पक्षकारो के हितो का निर्धारण मूलवाद में होना शेष है। इससे पूर्व भूमि को खुर्द बुर्द होने से रोकने के लिये स्थगन आदेश पारित किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता कैवियटकर्ता ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट का धारा 212 का आवेदन लम्बित है। प्रस्तुत अपील अन्तरिम आदेश के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। अपीलांट विचारण न्यायालय में चारा जोही हेतु स्वंतत्र है। अन्तरिम आदेश की अपील पोषणीय नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें। हमने पत्रावली एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील विचारण न्यायालय द्वारा स्थगन पर पारित अन्तरिम आदेश के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 212 लम्बित है। विचारण न्यायालय में आगामी तारीख पेशी 26.02.2021 नियत है। विधि अनुसार विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अन्तरिम आदेश की अपील पोषणीय नही मानी जा सकती है। अतः अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अपीलांट को विचारण न्यायालय में चाराजोही हेतु निर्देशित किया जाता है। विचारण न्यायालय को न्यायहित में निर्देश दिये जाते है कि आदेश 39 नियम 1 व 3 की पालना में धारा 212 के आवेदन को एक माह में अन्तिम रूप से निस्तारण करें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। (राजवीर सिंह चौधरी) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर